प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 24/12/2014

प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

1. **प्रार्थी का नाम** :– मैसर्स बिल्डर्स एंलाइस प्रा0 लि0 जरिये श्री दिक्षान्त शर्मा एवं श्री प्रशान्त शर्मा,
2. **भूखण्ड सं./योजनाः**– सी–4, बनीपार्क जयसिंह हाईवे, जयपुर।
3. **प्रकरण के तथ्य** :– भूखण्डधारी द्वारा दिनांक 22.07.2014 को आवेदन पेश कर भूखण्ड संख्या सी–4 क्षेत्रफल 1822.74 वर्ग मीटर पर आवासीय निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन पेश किया गया है। आवेदक को पत्रांक 954 दिनांक 12.08.2014 को सूचित किया गया था कि आपके द्वारा भूखण्ड संख्या सी–4, जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरी पत्रावली मय मानचित्र प्रस्तुत किये गये है। चूंकि उक्त भूखण्ड के स्वामित्व बावत् उच्चतम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा। आवेदक द्वारा दिनांक 07.10.14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो उसकी प्रति व अन्य ब्यौरा उपलबध करावें।

   आवेदक द्वारा आवेदन अपूर्ण प्रस्तुत किया गया है। यथा नाम हस्तान्तरण पत्र की प्रति प्रस्तुत नही की गयी है, स्वीकृत उपविभाजन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये है, मौके पर हो रहे निर्माण के मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। साथ ही इस भूखण्ड का पूर्व में कोई मानचित्र स्वीकृत है तो उसकी प्रति भी पेश नही की गयी है।

   साथ मे उक्त भूखण्ड के स्वामित्व बावत् उच्चतम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है। इस संबंध मे लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय में एस. एल. पी. नं. 23622/2011 श्री प्रभुदयाल मोदी बनाम जयपुर नगर निगम के संबंध मे वाद लंबित है। इसके निर्णय उपरान्त ही कार्यवाही किया जाना संभव है।

   अतः आवेदक का आवेदन अपूर्ण होने के कारण व न्यायालय में वाद होने के कारण आवेदन निरस्त करने हेतु समिति के निर्णयार्थ प्रेषित है।

समिति का निर्णय :– एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष भवन मानचित्र समिति	आयुक्त (आयोजना) सदस्य	अति0 मुख्य नगर नियोजक सदस्य	वरिष्ठ नगर नियोजक सदस्य सचिव